रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2014/फाल्गुन 5, 1935
No. 83] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2014/PHALGUNA 5, 1935

Untia Code

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

सा का.नि. 109 (अ).— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के पैरा 3 में "स्तंभ (5) से स्तंभ (14)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	*1 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड – 3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ऐसा प्रधान निजी सचिव जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए नयूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - अध्यक्ष 2. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा नामविर्दिष्ठ किया जाए - सदस्य 3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक अधिकरण का भारसाधक संयुक्त सचिव - सदस्य 4. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 12011/1/2011-ए.टी]
ममता कुंद्रा संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 74 तारीख 4 मई, 2007 द्वारा प्रमाणित किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2014

G.S.R.109(E).– In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal, (Senior Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2007, namely: —

1.Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Senior Principal Private Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Senior Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2007 (hereinafter referred to as the principal rules), in paragraph 3, for the words, brackets and figures "Column (5) to (14)", the words, brackets and figures "Column (5) to (13)" shall be substituted.

3. In the principal rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band Plus Grade Pay or Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Principal Private Secretary	1* (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600-39100/- Plus Grade Pay of Rs.7600/-	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: - Principal Private Secretary in the Central Administrative Tribunal with five years regular service in the grade. **Note 1: -** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2: -** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist Janurary, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman 2. Member, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- Member 3. Joint Secretary, in charge of Administrative Tribunal in Department of Personnel and Training- Member 4. Principal Registrar, Central Administrative Tribunal- Member	Not applicable

[F.No.A-12011/1/2011-AT]
MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 74, dated the 4th May, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 110(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—